कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

वि॰को॰/नि॰/रू॰ए॰सी॰पी॰–07/2010

वित्त विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या 4685 दिनांक 25.06.2003 एवं 1802 दिनांक 23.03.2006 के द्वारा क्रमशः अधिसूचित बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2003 एवं संशोधित नियमावली, 2006 में निहित प्रावधानों तथा विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की दिनांक 28.11.2018 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की कंडिका–1(i)(क) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को ए॰सी॰पी॰ योजना, 2003 प्रभावी होने की तिथि 09.08.1999 को अथवा उसके पश्चात् 12 वर्षों एवं 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी होने की तिथि से उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति दी जाती है:–

क्रम संख्या	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	वेतनमान् 5500–9000/– (पुनरीक्षित पे बैंड–2, ग्रेड पे– 4600) में प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि	वेतनमान् 6500–10500/– (पुनरीक्षित पे बैंड–2, ग्रेड पे– 4800) में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री श्रीकान्त सिंह	04-11-45	25-07-66	09.08.99	09.08.99	

2॰ उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप लाभान्वित कर्मी का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(1) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा। सम्बन्धित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि वेतन निर्धारण के पूर्व उपरोक्त सम्बन्धित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की मूल सेवा पुस्तिका की अपने स्तर से पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी सेवा सम्पुष्ट है, प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि को उपरोक्त वर्णित वांछित अवधि यथा क्रमशः 12 (बारह) वर्ष एवं 24 (चौबीस) वर्ष की नियमित एवं लगातार सेवा पूर्ण कर लिए हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इसे विभाग की जानकारी में लायें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। ऐसे मामले में त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में वेतन निर्धारण उपरांत किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित कार्यालय प्रधान जवाबदेह होंगे।

3॰ वित्त विभाग के पत्र संख्या 3637/वि॰, दिनांक 10.04.2013 के आलोक में लाभान्वित कर्मी मौलिक नियमावली के नियम–22(1)(ए)(1) के प्रावधान के तहत् वित्तीय उन्नयन की तिथि को अथवा अगली वेतनवृद्धि की तारीख को वेतन निर्धारण के संबंध में इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प अपने कार्यालय प्रधान को दे सकेंगे। समय सीमा के अन्दर विकल्प आवेदन नहीं देने की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्तीय उन्नयन की तिथि से किया जाएगा तथा एक बार किया गया विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा।

4॰ उपरोक्त कर्मियों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त एम॰ए॰सी॰पी॰ योजना का लाभ तद्नुसार रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा किसी प्रकार के अधिक भुगतान की राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति एक मुश्त कर ली जाएगी, जो उन्हें स्वीकार होगा।

5॰ उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

13.12.19

(वीरेन्द्र ठाकुर)
उप निबंधक (मु॰),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

कृ॰पृ॰उ॰ ....

ज्ञापांक 10844 /पटना, दिनांक 13.12.18

वि०को०/नि०/रू०ए०सी०पी० – 07/2010

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/संबंधित सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/सम्बन्धित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/विशेष कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.18

उप निबंधक (मु०),

सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

Node:5\E:\AKS Files\ACP Order (CEO 2018).doc\Ashok.